लोक सभा सचिवालय
संदर्भ प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस (रेफ) 2017/आईबी-2 जून 2017

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017

संविधान में उपबंध है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।[1] अनुच्छेद 64 में प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने या अन्य कारण से राष्ट्रपति के पद पर हुई रिक्ति[2] की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख तक नया राष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं करता है। वह तारीख किसी भी दशा में रिक्ति होने की तारीख के छह माह के बाद नहीं होगी। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्त्तव्यों को फिर से संभालता है।

ऐसे अनेक अवसर आए जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या बीमारी के कारण उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन किया। दोनों आकस्मिकताओं अर्थात्, उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने अथवा उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में, उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है।[3] संविधान में प्रावधान किया गया है कि इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति के कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा।

उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी अपना पांच वर्ष का दूसरा कार्यकाल 10 अगस्त 2017 को पूर्ण कर रहे हैं। अत: यह आवश्यक है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और परिणाम समय पर घोषित हो जाने चाहिए ताकि नया उपराष्ट्रपति 11 अगस्त 2017 या उससे पूर्व पदभार ग्रहण कर ले। अभी तक 1952 से 2012 तक चौदह उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन हो चुके हैं। उपराष्ट्रपतियों की पूर्ण सूची के लिए अनुबंध देखिए। उपराष्ट्रपति का पंद्रहवां निर्वाचन अगस्त 2017 में होना निर्धारित है।

उपराष्ट्रपति की पदावधि

उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है और अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

पद त्याग

उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही पद त्याग कर सकता है। ऐसा त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित और लिखित में दिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया हो और जिससे लोक सभा सहमत हो।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के संचालन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।

निर्वाचन आयोग की भूमिका: निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का अधिदेश है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद हेतु

---

[1] देखें अनुच्छेद 63 से 71, भारत का संविधान।

[2] विगत सड़सठ वर्षों में दो बार ऐसा अवसर आया जब उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 3 मई 1969 को राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के आकस्मिक निधन पर उपराष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि ने 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला। इसी प्रकार, जब 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति श्री फखरूद्दीन अली अहमद का निधन हुआ तब उपराष्ट्रपति श्री बी.डी. जत्ती ने 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला।

[3] जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसके पास राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होती हैं और वह उन्हीं परिलब्धियों, भत्तों और सुविधाओं का हकदार होता है जो राष्ट्रपति के लिए ग्राह्य है।

निर्वाचन अबाध और निष्पक्ष होना चाहिए और आयोग अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाता है। निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के कार्यक्रम को दर्शाने वाली अधिसूचना जारी करता है।

संसद के सचिवालय की भूमिका और रिटर्निंग आफिसर: राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग हर एक निर्वाचन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के परामर्श से एक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करेगा जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा और एक या अधिक सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त कर सकेगा। परंपरानुसार लोक सभा के महासचिव अथवा राज्य सभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्ष 2012 के उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु लोक सभा के महासचिव को रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया था। इसलिए 2017 के उपराष्ट्रतीय निर्वाचन हेतु राज्य सभा के महासचिव को रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है[4]। राज्य सभा सचिवालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही शुरू हो जाती है। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के उपबंधों के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग द्वारा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए अधिसूचना उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से पूर्व के साठवें दिन या उसके पश्चात् जारी की जा सकती है, अर्थात् वर्तमान परिदृश्य में, निर्वाचन आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के कार्यक्रम को दर्शाने वाली अधिसूचना 12 जून 2017 के पश्चात् किसी भी दिन जारी की जा सकती है।

इस अधिसूचना में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख; नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तारीख; नामांकन पत्रों को वापस लेने की तारीख; मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख के बारे में विवरण होता है। उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2017 के लिए कार्यक्रम निर्धारित समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

निर्वाचन हेतु पात्रता

संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा यदि वह–

- भारत का नागरिक हो;
- पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो; तथा
- राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो।

ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। तथापि, कोई व्यक्ति केवल इसी कारण से कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है अथवा किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ अथवा किसी राज्य का मंत्री है, लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं समझा जायेगा।

उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई वर्तमान सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

वर्तमान और पूर्व उपराष्ट्रपति जितनी बार चाहें पुनर्निर्वाचन में भाग लेने के पात्र हैं।

एक कार्यकाल से अधिक बार उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति

डॉ. एस. राधाकृष्णन (1952-62) और श्री मोहम्मद हामिद अंसारी (2007-17) ऐसे दो व्यक्ति हैं जो दो कार्यकालों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं।

नामांकन पत्र दाखिल करना और निर्वाचकों की भूमिका

उपरोक्त पात्रता मानदंडों के अतिरिक्त, विहित प्रपत्र (1974 नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र 3) में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के नामांकन पत्र पर प्रस्थापकों के रूप में कम-से-कम बीस निर्वाचकों और समर्थकों के रूप में कम-से-कम बीस निर्वाचकों के भी हस्ताक्षर होंगे। एक अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार नामांकन पत्रों से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे या रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोई निर्वाचक उसी निर्वाचन में, चाहे प्रस्थापक के रूप में या समर्थक के रूप में, एक से अधिक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और यदि कोई निर्वाचक ऐसा करता है तो प्रथम परिदत्त नामांकन पत्र से भिन्न किसी भी नामांकन पत्र पर उसके हस्ताक्षर अप्रवर्तनीय होंगे। प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ संसदीय क्षेत्र, जहां अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है, की निर्वाचक सूची में अभ्यर्थी से संबंधित प्रविष्टि की प्रामाणिक प्रति भी संलग्न होनी चाहिए।

[4] उपराष्ट्रपति के पद हेतु पंद्रहवां निर्वाचन 2017 संबंधी पृष्ठाधार सहायक सामग्री, भारत निर्वाचन आयोग।

उपराष्ट्रपति के पद हेतु वैध नामांकन पत्रों के लिए अर्हताओं में परिवर्तन[5]

	राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952	राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1974	राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1997
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रस्थापकों की संख्या	1	5	20
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए समर्थकों की संख्या	1	5	20
जमानत राशि (रुपयों में)	0	2,500	15000

हर अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर के पास जमानत राशि[6] के रूप में 15,000 रुपये की धनराशि नकद जमा करायी जाएगी या नामांकन पत्र के साथ ऐसी रसीद जमा करायी जाएगी जिसमें यह दर्शित किया गया हो कि 15,000 रुपये की उक्त धनराशि को उसके द्वारा या उसकी ओर से भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में जमा करायी गयी है।

निर्वाचकगण

भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इस निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है।

ऐसे सदस्य जो मत देने के पात्र नहीं हैं

जिन सदस्यों के संबंध में उचित न्यायालय अर्थात् उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को निरस्त करने के आदेश को लागू करने पर एक सीमित स्थगन दिया गया हो, उन्हें निर्वाचन में मत देने का हक नहीं है चाहे उनका नाम निर्वाचकगण में शामिल किया गया हो।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 40 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को उपरोल्लिखित निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची उनके अद्यतन पतों सहित तैयार करनी होगी। ऐसे निर्वाचन में, राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य सभा के नामनिर्देशित सदस्य, लोक सभा के निर्वाचित सदस्य; और लोक सभा के नामनिर्देशित सदस्य निर्वाचकगण के सदस्य होते हैं। निर्वाचकगण के सदस्यों के नाम निरंतर क्रम में और संबंधित सभाओं के राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के वर्णक्रमानुसार रखे जाएंगे। उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची खरीद हेतु आम जनता के लिए जुलाई 2017 में उपलब्ध करा दी जाएगी।[7]

15वें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण

राज्य सभा

निर्वाचित:	233
नामनिर्देशित:	12

लोक सभा

निर्वाचित:	543
नामनिर्देशित:	2
कुल	790

एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली—विस्तृत प्रक्रिया

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 17 में उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु मतदान की प्रक्रिया वर्णित है। मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम दिए जाएंगे, परन्तु मतपत्र में कोई निर्वाचन चिह्न नहीं होगा। मतपत्र में दो कॉलम होंगे। मतपत्र के कॉलम 1 में शीर्षक होगा "**अभ्यर्थी का नाम**", कॉलम 2 का शीर्षक होगा "**अधिमान क्रम चिह्नित करें**"।

प्रत्येक मत का मूल्य

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य 1(एक) है।

प्रत्येक निर्वाचक को उतने अधिमान प्राप्त होते हैं जितने अभ्यर्थी होते हैं, तथापि कोई मतपत्र केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि ऐसे सब अधिमान चिह्नित नहीं किए गए हैं, परन्तु प्रथम अधिमान को विधिवत् चिह्नित किया जाना चाहिए।

निर्वाचक अपना मत देते समय उस अभ्यर्थी के, जिसको वह अपने प्रथम अधिमान के लिए चुनता है, नाम के सामने वाले स्थान में अंक 1 और इसके अतिरिक्त अधिमान क्रम में उतने पश्चात्वर्ती अधिमान, जितने वह चाहता है, 2, 3, 4 अंक और इसी प्रकार के अन्य अंक लगाकर चिह्नित कर सकता है। अंक भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय

[5] उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 संबंधी सूचना बुलेटिन।

[6] यदि अभ्यर्थी निर्वाचित न हुआ हो और उसे प्राप्त वैध मतों की संख्या ऐसे निर्वाचन में अभ्यर्थी के सफल चुनाव के लिए आवश्यक मतों की संख्या के छठे भाग से अधिक न हो तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। अन्य मामलों में, अभ्यर्थी को जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।

[7] भारत के उपराष्ट्रपति पद हेतु पंद्रहवां निर्वाचन, 2017 संबंधी पृष्ठाधार सहायक सामग्री; भारत निर्वाचन आयोग।

रूप या रोमन रूप या किसी भी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में ही चिह्नित किए जाने चाहिएं।

विधिमान्य मत सुनिश्चित करना

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के दौरान 790 निर्वाचकों में से 736(93.16%) निर्वाचकों ने मतदान में अपना मत दिया। इनमें से 8 मतों को अविधिमान्य पाया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में कोई मत अविधिमान्य न हो, निर्वाचकों को निम्नलिखित बात को ध्यान में रखना चाहिए:-

अधिमानों को शब्दों अर्थात् एक, दो, तीन में उपदर्शित न किया जाए। इससे मतपत्र अविधिमान्य हो जाएगा।

निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन

मूल रूप से यथाअधिनियमित संविधान के अनुच्छेद 66 में यह उपबंध है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में शामिल दोनों सभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। तथापि, न तो 1952 में और न ही 1957 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान ऐसी कोई बैठक हुई क्योंकि दोनों ही अवसरों पर निर्वाचन निर्विरोध हुआ। गहन विचार-विमर्श के बाद यह महसूस किया गया कि इस स्वरूप के महत्वपूर्ण निर्वाचन के विभिन्न चरणों को किसी एक स्थान पर एकत्र हुए 700 से अधिक सदस्यों की संयुक्त बैठक के द्वारा संतोषजनक या सुविधाजनक ढंग से पूरा नहीं कराया जा सकता। तद्नुसार इस खंड को संविधान (ग्यारहवां) संशोधन अधिनियम, 1961 के द्वारा संशोधित किया गया जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक संबंधी पूर्ववर्ती अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया और ''संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा'' निर्वाचन की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 71 को भी यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया कि निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से उत्पन्न किसी रिक्ति के आधार पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

मतदान का स्थान

नई दिल्ली में संसद भवन के एक कक्ष को मतदान के स्थान के रूप में नियत किया जाता है। उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2017 के लिए मतदान के स्थान के बारे में पूरा विवरण निर्धारित समय पर अधिसूचित किया जाएगा।[8]

मतगणना की पद्धति

रिटर्निंग आफिसर मतगणना के लिए निर्धारित समय पर मतों की गिनती करता है जो कि उसी दिन का समय होता है जब मतदान किया जाता है। रिटर्निंग आफिसर सबसे पहले मतपत्रों की संवीक्षा करते हैं और अविधिमान्य मतों को अलग करते हैं। मतपत्रों में अंकित प्रथम अधिमानता के अनुसार अभ्यर्थी के लिए निर्धारित ट्रे में विधिमान्य मतपत्रों को रखकर निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों में विधिमान्य मतपत्रों का वितरण किया जाता है। सभी विधिमान्य मतपत्रों को वितरित करने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतपत्रों का योग करता है।

निर्वाचन के लिए कोटा

प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल विधिमान्य मतों की गणना के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतों का योग करता है। तत्पश्चात् किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने के लिए कोटे को, कुल विधिमान्य मतों को 2 से भाग करके और भागफल में 1 जोड़कर तथा शेष यदि कोई हो तो उसे छोड़कर अवधारित किया जाता है।

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सभी अभ्यर्थियों को मिले विधिमान्य मतों का योग 789 है तो निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित कोटा होगा:

$$\frac{789+1}{2} = 394.50 + 1 \text{ (0.50 को छोड़ दिया जाए)}$$

कोटा = 394 + 1 = 395

कोटा तय करने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर को यह देखना होता है कि क्या किसी अभ्यर्थी ने उसे मिले प्रथम अधिमानता के मतों के योग के आधार पर निर्वाचित घोषित किए जाने का कोटा प्राप्त कर लिया है। यदि प्रथम अधिमानता मतों के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी कोटा प्राप्त नहीं करता तो रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना के दूसरे दौर की प्रक्रिया आरंभ करता है जिसमें प्रथम अधिमानता के सबसे कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अपवर्जित कर दिया जाता है और उसके मतों को इन मतपत्रों पर अंकित दूसरी अधिमानता के अनुसार शेष अभ्यर्थियों में वितरित कर दिया जाता है। अन्य बने रहने वाले अभ्यर्थी, अपवर्जित अभ्यर्थी के मतों को 'एक' के समान मूल्य पर प्राप्त करते हैं।

रिटर्निंग आफिसर गणना के बाद वाले दौरों में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को तब तक अपवर्जित करता जाता है जब तक बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से कोई एक या तो अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता या एकल बने रहने वाले अभ्यर्थी के रूप में केवल एक ही अभ्यर्थी मैदान में शेष रह जाता है और वह उसे निर्वाचित घोषित कर देता है।

निर्वाचन पर विवाद

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी शंका या विवाद को लेकर कोई प्रश्न निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् किसी निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही उठाया जा सकता है और उसकी जांच और उस पर विनिर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली याचिका ऐसे निर्वाचन में शामिल किसी अभ्यर्थी द्वारा अथवा दस या दस से अधिक निर्वाचकों द्वारा संयुक्त याचिकाकर्त्ता के रूप में उच्चतम न्यायालय को दी जा सकती है। ऐसी कोई याचिका निर्वाचित अभ्यर्थी के नाम की घोषणा के प्रकाशन की तिथि के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

[8] भारत के उपराष्ट्रपति पद हेतु पंद्रहवां निर्वाचन, 2017 संबंधी पृष्ठाधार सहायक सामग्री; भारत निर्वाचन आयोग।

कुछ तथ्य

- उपराष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन; डॉ. जाकिर हुसैन; श्री वी.वी. गिरि; श्री आर. वेंकटरमन; डॉ. शंकर दयाल शर्मा और श्री के.आर. नारायणन बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने।
- वर्ष 1962 और 1967 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन एक साथ एक ही दिन क्रमशः 7 मई, 1962 और 6 मई, 1967 को हुए। परिणामतः बहुत से सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु राज्य की राजधानियों में मतदान करने की अनुमति ली थी, वे उसी दिन नई दिल्ली में हुए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर पाए क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु मतदान केवल नई दिल्ली में ही होता है।
- वर्ष 1969 में हुए पांचवें उपराष्ट्रपति चुनाव में छह अभ्यर्थी थे जो आज तक उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु अभ्यर्थियों की सबसे अधिक संख्या है।
- वर्ष 1979 में सातवें उपराष्ट्रपति चुनाव में 13 नामांकन पत्र भरे गए। संवीक्षा करने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने श्री एम. हिदायतुल्ला के अतिरिक्त शेष सभी अभ्यर्थियों के नामांकन रद्द कर दिए। श्री हिदायतुल्ला को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।
- इसी प्रकार वर्ष 1987 के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में 27 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए थे किंतु संवीक्षा में केवल डॉ. शंकर दयाल शर्मा का नामांकन ही वैध पाया गया। उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।
- सभी उपराष्ट्रपतियों ने निर्वाचन में गणना के प्रथम दौर में अपेक्षित कोटा प्राप्त किया और निर्वाचित घोषित किए गए।

भारत के उपराष्ट्रपति

1.	डॉ. एस. राधाकृष्णन	(13 मई 1952–12 मई 1962)
2.	डॉ. जाकिर हुसैन	(13 मई 1962–12 मई 1967)
3.	श्री वी.वी. गिरि[9]	(13 मई 1967–3 मई 1969)
4.	श्री जी.एस. पाठक	(31 अगस्त 1969–30 अगस्त 1974)
5.	श्री बी.डी. जत्ती[10]	(31 अगस्त 1974–30 अगस्त 1979)
6.	श्री एम. हिदायतुल्ला	(31 अगस्त 1979–30 अगस्त 1984)
7.	श्री आर. वेंकटरमन	(31 अगस्त 1984–24 जुलाई 1987)
8.	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	(3 सितम्बर 1987–24 जुलाई 1992)
9.	श्री के.आर. नारायणन	(21 अगस्त 1992–24 जुलाई 1997)
10.	श्री कृष्ण कांत	(21 अगस्त 1997–27 जुलाई 2002)
11.	श्री भैरों सिंह शेखावत	(19 अगस्त 2002–21 जुलाई 2007)
12.	श्री मोहम्मद हामिद अंसारी	(11 अगस्त 2007–आज तक)

[9] श्री वी.वी. गिरि 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे।
[10] श्री बी.डी. जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे।

संसद सदस्यों के उपयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर श्री अतुल कौशिक, अपर सचिव, श्रीमती कल्पना शर्मा, संयुक्त सचिव, श्रीमती अनीता खन्ना, निदेशक की निगरानी में श्रीमती रचना शर्मा, अपर निदेशक द्वारा तैयार किया गया। इस बुलेटिन का हिन्दी संस्करण संपादन और अनुवाद सेवा की निदेशक, सुश्री उषा जैन, अपर निदेशक, श्री अजीत सिंह यादव के मार्ग निर्देशन में संयुक्त निदेशक, श्री विजय के. अस्थाना और संपादक, श्रीमती निशा शर्मा, श्री महेन्द्र सिंह, श्री बसन्त प्रसाद और श्रीमती सुनीता उपाध्याय द्वारा तैयार किया गया। यह पृष्ठाधार सहायक सामग्री है। फीडबैक का स्वागत है और इसे refdiv-lss@sansad.nic.in पर भेजा जा सकता है।